



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022023-243569
CG-DL-E-13022023-243569

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609]
No. 609]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 2023/माघ 24, 1944
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 2023/MAGHA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2023

का.आ. 638(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.2124(आ). तारीख 6 मई 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमयया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.18 (नया रारा-40 पर कि.मी 56/700) पर कि.मी.56/800 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या.120 के स्थान पर 2 लेन के आरओबी ओर इसके मार्ग के निर्माण (चौड़ीकरण/2-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "26.05.2022 " को "दि हिंदू" और "साक्षी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमयया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.18 के आरओबी कि.मी 56/800 (पर लेवल क्रॉसिंग संख्या.120) तक के भू-खण्ड के लिए के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: अन्नमयया			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पिलेरू				
	गांव का नाम: पिलेरू				
1	47/2A	निजी	ड्राई	0.010116	१. एस. आसिफ अली स/ओ असद अली , २. ए. नारायण रेड्डी & वंसी ()
2	640	सरकारी	पोरंबोकु (रेलवे ए-क्लास)	0.1092651	सेंट्रल गवर्नमेंट (६४०/१)
3	65 B	निजी(इनाम)	ड्राई	0.0134	१. एस. माहम्मद युसुफ , २. एस. हमीद बी व/ओ निजामुद्दीन , ३. एस. महबूब भाषा स/ओ रेड्डी साहेब , ४. इमाम भाषा (६५/बी१)
4	66 A/1	निजी(इनाम)	ड्राई	0.008094	१. सतीश कुमार रेड्डी , २. अमरनाथ रेड्डी (६६ए/१ए)
5	66A/2	निजी	ड्राई	0.014163	१. वि. अमरनाथ रेड्डी , २. वि. मंजुला (६६ए/२ए)
6	67	निजी	ड्राई	0.024281	१. ज्योति रेड्डी , २. सि. हारुन साहिब, ३. अहमद , ४. रामचंद्र , ५. अहमद भाषा , ६. ए.एस. रेड्डी भाषा , ७. नरेंद्र रेड्डी , ८. एस.

					सलेहर , ९. एस. महबूब भाषा , १०. जी. अनुराध और अन्य (६७/१)
7	86/2A	निजी(इनाम)	ड्राय	0.008094	1. मनु रेड्डी , 2. बी. राजा रेड्डी , 3. ज्योतिश्वर रेड्डी , 4. एम्.वी. नागी रेड्डी & आदर्स ()
8	87/1	निजी	ड्राई	0.038445	१. रेड्डी भाषा , २. एम.एस. खाजा पीर , ३. सि. नवीन कुमार, ४. वेंकट रेड्डी , ५. जी. महबूब भाषा , ६. दौलत खान , ७. ए. चंद्र सेखर रेड्डी , ८. एम.सुजातम्मा , ९. एस. षाहदादि , १०. एस. बावजी , ११ शैक. इस्माइल , १२ ए. महबूब भाषा (८७/१ए)
9	92A/1B	निजी(इनाम)	ड्राई	0.024281	१. रफीद , २. मोहम्मद षरीफ, ३. डि. चंद्र रेड्डी ()
10	92B/2B	निजी(इनाम)	ड्राई	0.020234	१. एम. देवेंद्र रेड्डी , २. एम.गीतानंद रेड्डी, ३. एम. अमरनाथ रेड्डी , ४. ए. मंजुला , ५. ए. रवीन्द्रनाथ रेड्डी , ६. संध्या राणि, ७. एम. सुध राणि , ८. रामा मोहन , ९. टि. भास्कर रेड्डी , १०. जयप्रभा देवी , ११ डि.जी. नागि रेड्डी ()
11	93/2	सरकारी	उनअस्सेस्सेड	0.21853	१. बी. रामचंद्र रेड्डी , २. एस.मौला , ३. एस. अब्बास , ४. वि.अमरनाथ रेड्डी और अन्य ()
12	95/2	निजी	ड्राई	0.0922656	१. डि. स्वर्णलता ()
			कुल	0.5811687	

[फा. सं. RW/NH-12014/AP(18)LA/16-S&R(B)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2023

S.O. 638(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.2124(E), dated 06.05.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two laning etc.) Maintenance, management and operation of National Highway No.18 (Km.56/700 New NH-40) in the stretch of land for "Construction of two lane ROB at Km. 56/800 in lieu of Level Crossing No.120 of National Highway No.18 in the district of Annamayya in the state of ANDHRA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in "The HINDU" and "SAKSHI" both dated 26.05.2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been made to the Competent Authority within the period specified under sub-section (1) of Section 3C.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for ROB at Km.56/800 (in lieu of L.C.No.120) on National Highway No.18 in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: Annamayya		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pileru				
	Village: Pileru				
1	47/2A	Private	Dry	0.010116	1. S. Asif Ali S/o Asad Ali , 2. A. Narayana Reddy & Vamsi
2	640	Government	Poramboku (Railway A-Class)	0.1092651	Central Government 640/1
3	65 B	Private(Inam)	Dry	0.0134	1. S. Mohammad Yusuf , 2. S. Hameeda Bi W/o Nizamuddin , 3. S. Mahaboob Basha S/o Reddy Saheb , 4. Imam Basha 65/B1
4	66 A/1	Private(Inam)	Dry	0.008094	1. Satish Kumar Reddy , 2. Amarnath Reddy 66A/1A
5	66A/2	Private	Dry	0.014163	1. V. Amarnath Reddy, 2. V. Manjula 66A/2A
6	67	Private	Dry	0.024281	1. Jyothi Reddy , 2. C. Harun Sahib , 3. Ahmad , 4. Ramachandra , 5. Ahmad Basha , 6. A.S. Reddy Basha , 7.

					Narendra Reddy , 8. S. Salehar , 9. S. Mahaboob Basha , 10. G. Anuradha & Others 67/1
7	86/2A	Private(Inam)	Dry	0.008094	1. Manu Reddy , 2. B. Raja Reddy , 3. Jyotiswar Reddy , 4. M.V. Nagi Reddy & Others
8	87/1	Private	Dry	0.038445	1. Reddy Basha , 2. M.S. Khaza Peer , 3. C. Naveen Kumar, 4. Venkata Reddy , 5. G. Mahoob Basha , 6. Dawlath Khan , 7. A. Chandra Sekhar Reddy , 8. M.Sujathamma , 9. S. Shahadadi , 10. S. Bavaji , 11. Shaik Ismail , 12 A. Mahaboob Basha 87/1A
9	92A/1B	Private(Inam)	Dry	0.024281	1. Rashid , 2. Mohammad Sharif , 3. D. Chandra Reddy
10	92B/2B	Private(Inam)	Dry	0.020234	1. M. Devendra Reddy , 2. M.Geetananda Reddy , 3. M. Amarnath Reddy , 4. A. Manjula , 5. A. Ravindranadha Reddy , 6. Sandhya Rani , 7. M.Sudha Rani , 8. Rama Mohan , 9. T. Bhaskar Reddy , 10. Jayaprabha Devi , 11 D.G. Nagi Reddy
11	93/2	Government	Unassessed	0.21853	1. B. Rmachandra Reddy , 2. S.Moula , 3. S. Abbas , 4. V.Aamarnadha Reddy and Others
12	95/2	Private	Dry	0.0922656	1. D. Swarnalatha
			TOTAL	0.5811687	

[F. No. RW/NH-12014/AP(18)LA/16-S&R(B)/3D]

RAJESH GUPTA, Director